न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :— 41/2024
निर्णय दिनांक :— 27.09.2024
बइजलास :— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. कैलाश पुत्र छीतर
2. लादू पुत्र छीतर
3. सुखदेव पुत्र छीतर

समस्त जातियान बलाई समस्त निवासीयान धुवालियां तहसील फागी, जिला दूदू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला दूदू राजस्थान।
2. परमा पुत्र शंकर जाति नट निवासी सरस तहसील निवाई जिला टोंक।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :— श्री सुरेन्द्र कुमार टेलर वकील वादी

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :— 27.09.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 250 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.2529 हैक्टेयर खसरा नम्बर 110 रकबा 0.0253 हैक्टेयर खसरा नम्बर 111 रकबा 0.7713 हैक्टेयर खसरा नम्बर 29/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर खसरा नम्बर 66/2 रकबा 2.2125 हैक्टेयर खसरा नम्बर 66/4 रकबा 2.7693 हैक्टेयर खसरा नम्बर 86 रकबा 0.1517 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 6.6892 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला दूदू एव खाता संख्या 123 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 29/4 रकबा 0.5058 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/34 रकबा 0.5058 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.0116 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 29/1 प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं आराजी खसरा नम्बर 29/4 अप्रार्थी सं. 02 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो रिकार्ड से प्रमाणित है। राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय प्रतिवादी संख्या 2 से साज कर आराजी खसरा नम्बर 29/1 की जगह आराजी खसरा नम्बर 29/4 की तरमीम अंकित करवा दी जबकि मौके पर वास्तविक व भौतिक स्थिति के खसरा नम्बर 29/1 की जगह अप्रार्थी सं. 2 एवं खसरा नम्बर 29/4 की जगह प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला—दूदू

लगातार 2

ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायोचित है। राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम करते समय प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 29/1 की जगह प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 29/4 की तरमीम कर दी गई है जो गलत है। जहां नक्शे में खसरा नम्बर 29/4 अंकित है वहां उसी के लगवा खसरा नम्बर 66/2, 66/4 स्थित है जिसके लगवा ही खसरा नम्बर 29/1 जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है लेकिन राजस्व कारकानूनगो ने तरमीम अंकित करते समय खसरा नम्बर 29/1 की जगह 29/4 एवं खसरा नम्बर 29/4 की जगह खसरा नम्बर 29/1 की तरमीम अंकित कर दी जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 66/2, 66/4 के लगवा उत्तरी दिशा में जहां वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 29/4 अंकित है मौके पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है एवं मौके पर तारबन्दी कायम कर रखी है। जहां खसरा नम्बर 29/1 नक्शा ट्रेस में अंकित किया जाना न्यायोचित है। सही एवं वास्तविक भौतिक स्थिति, कब्जेनुसार खसरा नम्बर 29/1 की जगह खसरा नम्बर 29/4 एवं खसरा नम्बर 29/4 की जगह 29/1 की तरमीम किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि भौतिक कब्जे की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 29/4 की जगह 29/1 की तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं आये। दिनांक 12.07.2024 को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब में बताया कि वर्तमान जमाबंदी ग्राम धुवालियां (परवण) में स्थित ख0नं0 29/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर खातेदार कैलाश, छोटु, सुखदेव पि0 छितर बलाई सा0 देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान जमाबंदी ग्राम धुवालियां (परवण) के अनुसार ख0नं0 29/4 रकबा 0.5058 हैक्टेयर खातेदार परमा पुत्र शंकर नट सा0 सरस जिला टोंक के नाम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का परवण के अनुसार मौका स्थिति व नक्शा स्थिति में भिन्नता पाई गई है। प0ह0 परवण द्वारा ग्राम धुँवालियां के ख0नं0 29/4 की जगह मौके पर ख0नं0 29/1 का कब्जा (डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट अनुसार) पाया गया है। इसी प्रकार ख0नं0 29/1 की जगह 29/4 का कब्जा पाया गया होना बताया गया है। प0ह0 परवण द्वारा दिनांक 26.07.2024 को फर्द मौका रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इस संदर्भ में भू0अ0नि0 नीमेडा के भी रिपोर्ट ली गई है। भू0अ0नि0 नीमेड़ा द्वारा भी उक्त प्रासांगिक भूमि का मौका देखा गया है। जिसके अनुसार ख0नं0 29/4 पर खातेदार परमा पुत्र शंकर नट सा0 सरस का मौके पर कब्जा संबंधी विवाद होकर

लगातार..............3

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

श्री परमा नट मौके पर अनुपस्थित पाया गया है। प0ह0 द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट पर भी श्री परमा नट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ख0नं0 29/1 की डीआईएलआरएमपी नक्शा शीट में अंकित तरमीम मौके पर मिलान नहीं होना भू0अ0नि0 नीमेड़ा द्वारा बताया गया है।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 वाके ग्राम धुवालियां के खाता संख्या 250 मे प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा खाता सं0 123 मे अप्रार्थी सं0 2 रिकार्डेड खातेदार है। उपतहसीलदार निमेडा ने भी अपने जबाब मे ग्राम धुँवालियां के ख0नं0 29/4 की जगह मौके पर ख0नं0 29/1 का कब्जा (डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट अनुसार) पाया गया है। इसी प्रकार ख0नं0 29/1 की जगह 29/4 का कब्जा पाया गया होना बताया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 29/1, 29/4 भूमि वाके ग्राम धुवालिया तहसील फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर उपतहसीलदार निमेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

27/9/24

(सर्वेश कुमार ।।)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

सत्यमेव जयते